फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :–श्री विरेन्द्र सिंह वनाम विपक्षी :– श्री प्रेमसिंह

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. पत्रावली संख्या : 32/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 23.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 7, 8 की तरफ से वकालत पत्र अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा द्वारा पेश किया गया। शामिल फाईल रहें। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 7, 8 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से करा रसीद पेश की गई। रजिस्टर्ड एडी कराये 1 महिने से अधिक का समय हो चुका हैं। विपक्षी संख्या 3 अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 9 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 7, 8 पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरोडिया पटवार हल्का वरोडिया, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 79 की आराजी न. 1001 किता 1 रकबा 0.0900 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो [illegible] कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सु[illegible] करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। [illegible] हेतु तह[illegible] भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] राशि [illegible]गतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:09 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर